न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

[illegible]सीन अधिकारी :– **संजय कुमार** आर.ए.एस.

[illegible]न :– **राजस्व वाद संख्या 148/2021**

अमनदीप भुप्पल पुत्री श्री गुरप्रीत भुप्पल जाति कुम्हार सिख उम्र 25 वर्ष निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

बनाम .... **वादी**

करतार सिंह पुत्र गज्जन सिंह
गुरचरण सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह
गुरचरण सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
नारायण सिंह पुत्र गज्जन सिंह
भगवान सिंह पुत्र अमर सिंह
भजन सिंह पुत्र अमर सिंह
} अकवाम जटसिख साकिन नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा श्रीगंगानगर
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादीगण**

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–</u>

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता	वादी
2. श्री सुभाष मिढढा अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 6
3. श्री राजेन्द्र कुमार कस्वा अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4
4. पैरोकार राज	प्रतिवादी–8

प्रतिवादी संख्या 3, 5, 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.01.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 17 जी. जी. की खतौनी संख्या 11/9 पत्थर नं. 0 मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 11 ता 20, किला नं. 23 ता 25 में 3.2890 हैक्टयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 11 ता 25 में 3.7950 हैक्टयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं. 32 के किला नं. 21 ता 25 में 1.2020 हैक्टयर रकबा नहरी कुल 8.2860 हैक्टयर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिसमे वादीया के नाम 3.289 हैक्टयर रकबा दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी शामिल वाद पत्र है। खाता सांझा होने से लगान व आबियाना देने मे, पानी की भराई–खिंचाई मे व सरकारी अनुदान, फव्वारा–खाला–डिग्गी के लिए कई प्रकार की कानूनी व व्यवहारिक दिक्कते आती है इस कारण हक व [illegible] अनुसार, कब्जा काश्त अनुसार [illegible] हक व हिस्सानुसार, खाता तकसीम करवाना आवश्यक व जरूरी है। घरू बंट[illegible] [illegible] व उपभोग करती कब्जा काश्त अनुसार वादी के कब्जा में निम्न रकबा है [illegible] 3.2890 हैक्टयर आ रही है :– मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 11 ता 20, किला नं. 2[illegible] नहरी मय खाला।

वादीया ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरू बंटवारा [illegible]सार, हक व हिस्सानुसार, कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाने के लिए आप सक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के ब्यान कर दो ताकि सबका खाता विभाजन हो जावे। पहले तो वह आजकल – आजकल करते रहे फिर आज से 7 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो आपके पक्ष मे सहमति के ब्यान नहीं करवाते है और ना अपना खाता अलग करवाना चाहते है तुम्हे जो करना है सो करो बय यही बिना दावा है जो वादीया को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है। राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया है लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है अन्य सहकाश्तकारान है इसलिए उन्हे प्रतिवादी पक्षकार बनाया है चूंकि वादीया का रकबा बैंक के रहन है इसलिए बैंक को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। दावा श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समय अवधि मे समुचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

क– घोषित किया जावे कि वादी मुरब्बा नं. 23 में 3.289 हैक्टयर रकबा की खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता तकसीम करवाने की अधिकारिणी हैं।

ख– इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

ग– खर्चा खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

घ – अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत मुझ वादीया के पक्ष मे हो प्रदान की जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 7 की विधिवत तामील होने पर प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3, 5, 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 6 बंद किया गया।

प्रतिवादी सं. 2 द्वारा इकबालिया जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की उपमद संख्या क, ख, ग, घ स्वीकार है। काउंटरक्लेम – तहसील श्रीगंगानगर के चक 17 जी. जी. की खतौनी संख्या 11/9 के मुरब्बा नं. 32 के किला नं. 21, 22, 23, 24 सालम, किला नं. 25/1 में 0.1900 है० कुल 1.2020 हैक्टयर रकबा का खातेदार काश्तकार है। मुझ प्रतिवादी ने कई बार वादी व अन्य प्रतिवादीगण को कहा कि घरू बंटवारा अनुसार, हक व हिस्सानुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा मे रकबा आया है उसी अनुसार खाता तकसीम करवाने के लिए आप सहमति के ब्यान कर दो पहले तो वह आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 7 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो आपके पक्ष में सहमति के ब्यान नहीं करते तुम्हे जो करना है सो करो बस यही बिनाय काउन्टर क्लेम है जो मुझ प्रतिवादी को वादी व अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है । काउन्टर क्लेम श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समय अवधि मे पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का स्वीकार किया जाकर मुझ प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार डिक्री किया जावे।

क – घोषित किया जावे कि मिन प्रतिवादी चक 17 जी. जी. की खतौनी संख्या 11 / 9 के मुरब्बा नं. 32 के किला नं. 21, 22, 23, 24 सालम, किला नं. 25/1 में 0. 1900 है0 कुल 1.2020 हैक्टयर रकबा का खातेदार काश्तकार होने के कारण इसी अनुसार खाता तकसीम करवाने का अधिकारी है।

ख – इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 व 4 द्वारा इकबालिया जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की उपमद संख्या क, ख, ग, घ स्वीकार है । काउन्टर क्लेम :– हम प्रतिवादीगण का रजिस्टर्ड पता शीर्षक वाद के अनुसार सही है। ... के चक 17 जी. जी. की खतौनी संख्या 11/9 के मुरब्बा नं. 31 के किला ... 7 हैक्टयर, किला नं. ... ता 25 कुल 3.163 हैक्टयर रकबा बहिस्सा बराबर के खातेदार ... है। हम प्रतिवादीगण ने कई बार वादी व अन्य प्रतिवादीगण को कहा कि घरू बंटवारा अनुसार ... हिस्सानुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा मे रकबा आया है उसी अनुसार खाता ... करवाने के लिए आप सहमति के ब्यान कर दो पहले तो वह आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 7 रोज पूर्व स्पष्ट इंकार हो गये और कहने लगे कि हम तो आपके पक्ष में सहमति के ब्यान नहीं करते तुम्हे जो करना है सो करो बस यही बिनाय काउन्टर क्लेम है जो हम प्रतिवादीगण को वादी व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुआ है। काउन्टर क्लेम श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो समय अवधि मे पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी का स्वीकार किया जाकर हम प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार डिक्री किया जावे।

क – घोषित किया जावे कि हम प्रतिवादीगण मुरब्बा नं. 31 के किला नं. 13 में 0.127 हैक्टयर, किला नं. 1 ता 25 कुल 3. 163 हैक्टयर रकबा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार होने के कारण इसी अनुसार खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है।

ख– इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3, 5, 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब दावा बंद हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 4 का इकबालिया जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश हो चुका है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद डिक्री किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2071–2074 चक 17 जी जी, पटवार हल्का नेतेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र. नेतेवाला खाता संख्या 11/9 संयुक्त खाता की आराजी होने से वादी एवम प्रतिवादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए कमांक /भू.अ./34 दिनांक 02.01.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	अमनदीप भुप्पल पुत्री गुरप्रीत सिंह भुप्पल जाति कुम्हार सिख निवासी नेतेवाला	चक 17 जी जी के मुरबा नम्बर 23 किला नं. 11 ता 20(2.530), किला नं. 23 ता 25 (0.759) कुल 3.289 हैक्टर नहरी मय खाला
2	करतार सिंह पुत्र गज्जन सिंह व नारायण सिंह पुत्र गज्जन सिंह जाति जट सिख निवासी नेतेवाला	चक 17 जी जी के मुरबा नम्बर 31 किला नं. 13/2(0.127), किला नं. 14 ता 25 (3.036) कुल 3.163 हैक्टर नहरी मय खाला
3	गुरचरण सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति जट सिख निवासी नेतेवाला खातेदार	चक 17 जी जी के मुरबा नम्बर 32 किला नं. 21 ता [illegible]) कुल 1.202 हैक्टर 24(1.012), किला नं. [illegible] नहरी मय खाला
	शेष खाता जमाबंदी बदस्तूर मु.नं. 31 किला नं. 11(0.253), 12(0.253), 13/1 (0.126) कुल 0.632 हैक. नहरी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग खातान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.01.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner